न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – सुश्री पार्थवी, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या : 63A/21 **GCMS id** : 2021/111

मुकेश कुमार गोयल आत्मज श्री कृष्णचन्द, निवासी 360, राजीव गांधी नगर, एलेन केरियर के पीछे, कोटा –(वादी)

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा –(प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : श्री एस. चावला, वादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 29.10.2021

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के अन्तर्गत बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :–

* वादी कोटा राजस्थान का निवासी है, प्रतिवादी लेण्ड होल्डर है, तथा राजस्व विवादो का निपटारा करता है।
* वादी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.03.2018 श्रीमती नीता जैन आयु 45 साल पत्नी श्री प्रकाश जैन निवसिनी ए–55 तलवण्डी कोटा से उनकी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 727/1 (उत्तरी वाली) रकबा 0.32 हैक्टर माल प्रथम वाके ग्राम करार पटवार क्षेत्र कसार भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मण्डाना उप तहसील मण्डाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की 12,00,000.00 रूपयों मे क्रय की, जिसका विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयक मण्डाना जिला कोटा के यहां दिनांक 13 मार्च 2008 को हो रहा है। इस पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रेता के रूप मे मुकेश गोयल आयु 33 साल आत्मज श्री कृष्णचंद निवासी 895 महावीर नगर, कोटा दर्ज है
* इसी प्रकार वादी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.03.2008 से गुलाब चन्द जैन आत्मज स्व0 श्री कन्हैयालाल जैन जाति महाजन निवासी ए–55 तलवंडी, कोटा मुख्तार आम श्री बरदी सिंह आत्मज श्री लक्ष्मणसिंह व संतोष बाई पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कसार की बरदीसिंह एवं संतोष बाई कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 716 रकबा 0.47 हैक्टर माल प्रथम वाके ग्राम कसार पटवार क्षेत्र कसार भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मण्डाना उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा की 11,75,000.00 रूपयों मे क्रय की, जिसका विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयक मण्डाना जिला कोटा के यहां दिनांक 13 मार्च 2008 को हो रहा है। इस पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रेता के रूप मे मुकेश गोयल आयु 33 साल आत्मज श्री कृष्णचंद निवासी 895 महावीर नगर, कोटा दर्ज है

* वादी वर्तमान मे 360 राजीवगांधी नगर, कोटा मे निवास करता है, अतः वादी ने पता परिवर्तन करने के कारण प्रतिवादी को दिनांक 12.01.2021 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा वाद पत्र के चरण 2 व 3 मे आराजियात का पंजीकृत विक्रय पत्रो के जरिये क्रय किया गया है, उसमे उसका पंजीकृत विक्रय पत्र मे क्रेता के रूप मे मुकेश गोयल आयु 33 वर्ष आत्मज श्री कृष्णचंद निवासी 895 महावीर नगर, कोटा का पता दर्ज है। इस कारण उसे अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अतः उसका पता परिवर्तन कर दिया जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन मे मतदाता पहचान पत्र, बिजली का बिल आदि पेश किये गये।
* वादी का पूर्व पता– मुकेश कुमार गोयल आयु 33 वर्ष आत्मज कृष्णचन्द निवासी 895 महावीर नगर, कोटा था।
* वादी का वर्तमान पता– मुकेश कुमार गोयल आयु 46 वर्ष आत्मज श्री कृष्णचन्द निवासी 360 राजीव गांधी नगर, कोटा, है।
* प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र को क्रमांक 296 पर दिनांक 12.01.2021 को दर्ज कर पटवार मण्डल कसार को वास्ते पेश करने रिपोर्ट भेजी, जिनके द्वारा दिनांक 12.04. 2021 से भू–अभिलेख निरीक्षक को वास्ते रिपोर्ट भिजवाया गया जिनके द्वारा दिनांक 16.04.2021 से भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डाना को भिजवाया गया उनके द्वारा दिनांक 23.04.2021 को अपनी रिपोर्ट बना दी गई है।
* इसके उपरान्त भी प्रतिवादी वादी का पता परिवर्तित करने को तैयार नही हो रहा है और ना ही वादी का नाम मुकेश कुमार गोयल करने को तैयार है।
* प्रतिवादी का वैधानिक दायित्व है कि वह वादी का परिवर्तित पता संबंधित रिकोर्ड मे अंकन करे, जिसके लिए वादी द्वारा बार–बार निवेदन करने पर भी कार्यवाही न करने पर, विवश होकर श्रीमान के समक्ष यह दावा पेश किया जा रहा है।
* वाद पेश करने का कारण वादी द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्रो मे लिखित पते को परिवर्तित करने हेतु 12.01.2021 को आवेदन करने, तदुपरान्त संबंधित राजस्व अधिकारियो द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार कर देने पर भी वादी का नाम परिवर्तित न किये जाने पर माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे पैदा हुआ है। यह वाद अवधि मध्य है, तथा उचित न्यायशुल्क पर पेश किया गया है।
* अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के खिलाफ यह निर्णय व डिक्री प्रदान की जावे कि वह वादी आवेदन दिनांक 12.02. 2021 को स्वीकार करते हुए वादी के निवास पते मे वांछित परिवर्तन करें तथा वादी का पूरा नाम मुकेश कुमार गोयल अंकित किया जावें। वाद व्यय तथा अन्य जो न्यायोचित सहायता हो दी जावे।
* वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में वादपत्र के साथ, प्रकरण की विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्नांकित दस्तावेजात पेश किये गये है :–

(अ) जमाबन्दी संवत 2071–2074

2. प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि –
   - ❖ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जॉच हेतु पटवारी हल्का को प्रेषित किया गया।
   - ❖ पटवारी हल्का की जॉच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कसार की आराजी खसरा नम्बर 718 एवं खसरा नम्बर 7271 (उत्तरवर्ती) कुल किता 2 रकबा 0.72 हैक्टर वादी मुकेश कुमार गोयल पुत्र कृष्णचन्द, जाति महाजन, निवासी 895, महावीर नगर–प्रथम, कोटा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी, जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Pardn

- ❖ प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना पता 895, महावीर नगर–प्रथम, कोटा के स्थान पर मकान नम्बर 360 , राजीव गॉधी नगर, कोटा दर्ज करवाना चाहता है।
- ❖ वादी द्वारा प्रस्तुत वोटर आई.डी. नम्बर 0320754 में वादी का वर्तमान पता 360, राजीव गांधी नगर, एलन केरियर के पीछे, तहसील लाडपुरा, कोटा अंकित है, जो स्वीकार है।
- ❖ राजस्व रिकार्ड में वादी का पता परिवर्तित करने का अधिकार प्रतिवादी को न होकर सक्षम न्यायालय को है।

3. प्रतिवादी की ओर से पेश जवाब दावा में वादी के कथनों को आंशिक स्वीकार किया गया है तथा वादी के कथनों को स्वीकार किये जाने से प्रकरण में कोई विवदित बिन्दु कायम नहीं किया गया। तदुपरान्त वादी की ओर से साक्ष्य पेश किये जाने थे, जिसके क्रम में वादी द्वारा वादपत्र के कथनों तथा प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा के कथनों व पटवारी रिपोर्ट तथा पेश किये गये दस्तावेजात को ही साक्ष्य माने जाने का निवेदन किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर प्रकरण बहस में नियत किया गया।

4. प्रकरण पर अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई –

- वादी अभिभाषक ने अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी द्वारा समय समय पर पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से ग्राम कसार की आराजी खसरा नम्बर 716 रकबा 0.47 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 727/1 रकबा 0.25 हैक्टर खरीदी गई थी। उस समय वादी अपने पूर्व निवास स्थान 895, महावीर नगर–प्रथम, कोटा में निवास कर रहा था इसलिये विक्रय पत्रों पर वादी का पूर्व पता ही अंकित किया गया और विक्रय पत्रों पर अंकित पते के आधार पर राजस्व अभिलेख में क्रेता वादी का पूर्व पता ही अंकित कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या NWQ/0320754 के अनुसार वादी का नाम व पता : *"मुकेश कुमार गोयल पुत्र कृष्णचन्द गोयल, निवासी मकान नम्बर 360, राजीव गांधी नगर, एलेन केरियर के पीछे, कोटा"* अंकित है। वादी वर्तमान में इसी स्थान पर निवास कर रहा है। राजस्व अभिलेख में वादी का पुराना पता अंकित होने के कारण वादी को विवादित आराजी के उपयोग उपभोग में अनेक Practical Problems का सामना करना पड रहा है। अतः वादी के पहचान पत्र एवं पटवारी रिपोर्ट व जवाब दावा के आधार पर विवादित आराजी की जमाबन्दी में वादी के नाम पते की इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान करावें।

4. हमने वादी अभिभाषक की, प्रकरण पर की गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। मुताबिक मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या NWQ/0320754 के अनुसार वादी का नाम मुकेश कुमार गोयल अंकित है तथा निवास का पता – मकान नम्बर 360, राजीव गांधी नगर, एलेन केरियर के पीछे, कोटा अंकित है। हल्का पटवारी द्वारा भी इसी मतदाता पहचान पत्र का उल्लेख करते हुये रिपोर्ट प्रेषित की गई है तथा तहसीलदार ने भी अपने जवाब दावा में इसी पटवारी रिपोर्ट का अंकन किया गया है। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी की ओर से पेश मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या NWQ/0320754 के अनुसार वादी का नाम मुकेश कुमार गोयल तथा उसके निवास का पता मकान नम्बर 360, राजीव गांधी नगर, एलेन केरियर के पीछे, कोटा अंकित है। प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा अपने मतदाता पहचान पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रकरण की विवादित आराजी की जमाबन्दी में अपने नाम व निवास स्थान के पते की इन्द्राज दुरूस्ती चाही गई है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 89 में राजस्व अभिलेख के इन्द्राज की दुरूस्ती के प्रावधान निहित है। वादी की ओर से पेश उक्त वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में है तथा अधिनियम की तृतीय अनुसूची में निधारित अवधि मध्य पेश किया गया है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम व पटवार हल्का कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 716 रकबा 0.47 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 7271 (उत्तरवर्ती) रकबा 0.25 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.72 हैक्टर के राजस्व अभिलेख में अंकित खातेदार के नाम व निवास के पते के वर्तमान अंकन की इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये वादी का नाम व पता "*मुकेश कुमार गोयल पुत्र कृष्णचन्द गोयल, जाति महाजन, निवासी मकान नम्बर 360, राजीव गांधी नगर, एलेन केरियर के पीछे, कोटा*" दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Parthvi

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

r & F.D.

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– सुश्री पार्थवी, R.A.S.

बउनवान :–

मुकेश कुमार गोयल आत्मज श्री कृष्णचन्द, निवासी 360, राजीव गांधी नगर, एलेन केरियर के पीछे, कोटा –(वादी)

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा –(प्रतिवादी)

दावा बाबत : 88, 89 RTA
मुकदमा नम्बर : 63A/21
GCMS id : 2021/111
निर्णय दिनांक : 29-10-2021

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री एस. चावला की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 29–10–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी सुश्री पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम व पटवार हल्का कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 716 रकबा 0.47 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 727 (उत्तरवर्ती) रकबा 0.25 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.72 हैक्टर के राजस्व अभिलेख में अंकित खातेदार के नाम व निवास के पते के वर्तमान अंकन की इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये वादी का नाम व पता *"मुकेश कुमार गोयल पुत्र कृष्णचन्द गोयल, जाति महाजन, निवासी मकान नम्बर 360, राजीव गांधी नगर, एलेन कैरियर के पीछे, कोटा"* दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 29.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

Parthvi
(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	प्रतिवादी		रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अर्जी के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	